रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2019/वैशाख 5, 1941
No. 1466] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2019/VAISAKHA 5, 1941

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

का.आ. 1650(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2004 (अ), तारीख 30 अगस्त 2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश में राजमार्ग संख्या–30 पर मैंगलगंज से प्रारम्भ होने वाला पुवायाँ को जोडते हुए रा.रा.–730 पर पूरनपुर में समाप्त होने वाले मार्ग को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730ए घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, पेव्ड शोल्डर युक्त दो लेन के 54.430 कि.मी. की निवल लम्बाई वाले सड़क खंड के उपयोग करने के लिए तालिका–1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट आधार दर का 60 प्रतिशत की दर पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 730ए के पुवायाँ–पूरनपुर सेक्शन के डिजाइन चैनेज कि.मी. 51.00 से 105.500 (मौजूदा चैनेज कि.मी. 50.675 से 105.500) तक के खण्ड का उपयोग करने के लिए नीचे तालिका–1 के कॉलम–1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः–

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रू. में)
1	2
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल, वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40

भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थातः

सारणी–2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क संदेय है।	दर, जिस पर, शुल्क संदेय है।
शाहजहॉपुर जिले में सबली गांव के निकट डिजाइन चैनेज 61.500 (मौजूदा चैनेज कि.मी. 61.500)	54.430	उक्त सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि0मी0 तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018–19 के लिए मासिक पास की दर 255.00 रूपये (दो सौ पचपन रू. मात्र) होगी और यह नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात

सारणी–3

संदेय राशि	अनुमत एक तरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पडता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सडक उपलब्ध न हों।

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम–10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नही होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नही दिया जाए।

6. यात्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड़, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. ऊपर सारिणी–1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क ओर छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम–5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत रू0 255.90 करोड़ है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किये जाने हैं। अंतिम पूँजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा वसूल किये गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिये पूँजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूँजीगत लागत की वसूली के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आर.ओ./लखनऊ/730ए/यू.पी./2015–16/524/पी.टी.–1/टोल नोटिफिकेशन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2019

S.O. 1650(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2004 (E), 30 August 2012, issued under section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has declared the entire stretch of highway starting from Maigalganj on NH-30, connecting Powayan and terminating at NH-730 in Puranpur in the state of Uttar Pradesh as NH-730A and entrusted to Uttar Pradesh Public Works Department. (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act,1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 54.430 km for use of the two lane with paved shoulder sections on type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the Powayan-Purnapur Section from design km 51.000 to km 105.500 (existing km 50.675 to Km. 105.500) of National Highway number 730A in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Types of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Multi Axle Vehicles (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles' (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

TABLE-2

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 61.500 (design chainage) (existing chainage Km. 61.500) of NH-730A near Village Sabli in Shahjahanpur District	54.430	60% of the base rates mentioned in Table – 1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty Five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys of the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

TABLE-3

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty Four hours the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of Payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available or use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of said rule.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 255.90 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/LKO/730A/UP/2015-16/524/PT-I(Toll Notification)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.25 22:11:55 +05'30'